

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ०ग०)
क्रमांक क/वाचक-1/2017 /367
प्रति

घरघोड़ा दिनांक 25 फरवरी, 2017

कलेक्टर
(भू-अर्जन शाखा)
रायगढ़

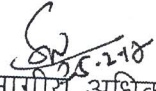
विषय- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 7 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण का विशेषज्ञ समूह द्वारा अंकन के संबंध में प्रतिवेदन देने बावत्।

विषयान्तर्गत अवर सचिव, छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, रायपुर का पत्र क्रमांक 5106/आर०एन० 2896/सात-1/2016 दिनांक 09.09.2016 में दिये गये निर्देशानुसार एन.टी.पी.सी.तिलाईपाली परियोजना अंतर्गत महाप्रबंधक द्वारा निम्नांकित ग्रामों के निजी भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव में सामाजिक समाघात निर्धारण करने हेतु कलेक्टर महोदया रायगढ़ द्वारा विशेष गठित दल द्वारा इस कार्यालय में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है:-

1. कंचनपुर
2. बनाई
3. बासनपाली
4. नूनदरहा
5. डोलेसरा
6. जरेकैला
7. मौहापाली
8. केराखोल
9. पतरापाली
10. बरकसपाली

2- उक्त विशेषज्ञ दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन "आवेदक कंपनी एन०टी०पी०सी० लिमिटेड द्वारा पूर्व में ऐसी कोई अर्जित भूमि नहीं है, जो अनुपयोगी पड़ी है" के संबंध में तहसीलदार तमनार एवं घरघोड़ा से पृथक से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त किया गया। तदनुसार विशेषज्ञ दल द्वारा उपर्युक्त ग्रामों का प्रस्तुत अंकन/प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु मूलतः संलग्न कर सादर संप्रेषित है।

सहपत्र- 10 ग्राम का
प्रतिवेदन


अनुविभागीय अधिकारी (रा०)
घरघोड़ा जिला रायगढ़
25/2/17

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ0ग0)

—:: ईशतहार::—

ग्राम कंचनपुर, बनाई, बासनपाली, नूनदरहा, डोलेसरा, जरेकेला, मौहापाली, केराखोल, पतरापाली एवं बरकसपाली तहसील घरघोड़ा की निजी भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात सहमति तथा जनसुनवाई) नियम 2016 के तहत मूल्यांकन हेतु एन.टी.पी.सी. तिलाईपाली से प्राप्त प्रस्ताव को गठित विशेषज्ञ दल द्वारा जांच कर अभिमत अंकित कर इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। (ईशतहार के साथ पृथक से संलग्न है)।

इस प्रकार सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु विशेषज्ञ दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना में इस कार्यालय द्वारा दिया गया अभिमत दिनांक 25.02.2017 का प्रकाशन उक्त ग्रामों (पृथक-पृथक) में ईशतहार के माध्यम से प्रकाशित किया जाकर सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि संलग्न प्रतिवेदन में उल्लिखित तथ्यों के संबंध में किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का आपत्ति हो तो वे अपना आपत्ति दिनांक 08 मई, 2017 तक इस कार्यालय में स्वयं अथवा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 17.04.2017 को इस न्यायालय के सील एवं मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।



17.4.17
अनुविभागीय अधिकारी (रा)
घरघोड़ा जिला रायगढ़

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 7 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण का विशेषज्ञ समुह द्वारा अंकन

प्रति,

कलेक्टर रायगढ़ छ.ग.

विषय:- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 7 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण का विशेषज्ञ समुह द्वारा अंकन

संदर्भ:- आपका आदेश क्रमांक 110805/भू-अर्जन/2016 रायगढ़ दिनांक 16.12.2016

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश का अवलोकन करने कष्ट करें। इस आदेश के तारतम्य में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घरघोड़ा द्वारा जारी पत्र क्रमांक क/वाचक-1/2017/घरघोड़ा दिनांक 13 जनवरी 2017 के अनुपालन में दिनांक 28.01.2017 को समिति की बैठक संपन्न हुई सभी नामांकित सदस्य उपस्थित रहे बैठक में ग्रामवार प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण पर सामाजिक समाघात अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का आकलन किया गया जिसका प्रतिवेदन निम्नानुसार है।



ग्राम बनाई, तहसील- तमनार, जिला रायगढ़

प्रस्तावित अधिग्रहण एनटीपीसी लिमिटेड जो कि भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम के लिये है। जिसका मुख्य लक्ष्य विद्युत उत्पादन है इस उपक्रम की एक इकाई ग्राम लारा में संयन्त्र स्थापित किया जा चुका है। इस संयन्त्र को आवश्यक कोयले के खदाने तिलाईपाली कोल ब्लॉक रायगढ़ में दिनांक 25.01.2006 को आबंटित की जा चुकी है। इस खदान से उत्पादित होने वाले कोयले का सुगम एवं त्वरित परिवहन हेतु एक डबल रेल लाईन बिछाया जाना प्रस्तावित है। जाहिर है यह प्रस्तावित अधिग्रहण रैखीक (LINEAR) होगा अर्थात् भूमि में निश्चित चौड़ाई और एक लम्बी दूरी तक भूमि अधिग्रहित की जायेगी। जिससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की संख्या तो अधिक होती है। परन्तु अर्जित किया जाने वाले रकबा कम होता है। अतः अधिकतर प्रकरणों में कोई व्यक्ति अपनी पूरी जमीन नहीं खोता।

- प्रस्तावित अधिग्रहण में आने वाला क्षेत्र अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्र है एवं अधिसूचित क्षेत्र है। तदनुसार P.E.S.A. का पालन आवश्यक होता है। प्रस्तुत प्रकरण में ग्राम सभा का अयोजन कर अधिग्रहण का अनुमोदन किया गया है जो कि संलग्न है (अनु. क.) ।
- सामाजिक अध्ययन दल द्वारा खसरा नं. कुल 5 का कुल रकबा 2.13 एकड़ जमीन का प्रस्तावित अधिग्रहण प्रतिवेदित किया है। इसकी पुष्टी संबंधित राजस्व अभिलेखों से कि गई। इस अधिग्रहण से कुल 5 व्यक्ति प्रभावित होंगे जिसमें 3 अनुसूचित जन जाति के 1 अनुसूचित जाति का और 1 अन्य संवर्ग का है। तथा 1 लघु कृषक है, 1 सीमांत एवं 3 समान्य कृषक है। जिसका विवरण संलग्न है (अनु. क.) । उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है की किसी भी व्यक्ति की पुरी जमीन नहीं जा रही है।
- वस्तुतः इस ग्राम में इस रेल लाईन को बिछाने के लिये भूमि अधिग्रहण पूर्व में ही किया जा चुका है, यह रिकार्ड देखने से स्पष्ट होता है पूर्व में किये गये अधिग्रहण में इन प्रस्तावित अधिग्रहण की भूमि छूट गई थी, स्थल पर जांच करने में यह स्पष्ट हुआ कि यह भूमि अधिग्रहण करने से छूट गई है, और जब तक इन भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाता तब तक पूर्व में किया गया अधिग्रहण पर कार्य नहीं



किया जा सकता और न ही रेल लाईन बिछाई जा सकती है अतः यह अधिग्रहण आवश्यक है।

- रेल लाईन के लिये आवश्यक अधिग्रहण निश्चित ही कम से कम दूरी को ध्यान में रखते हुए ही किया जाता है। इस परियोजना के निर्माण में इस बात का ध्यान रखा गया है। कि कोई भी बसाहट, अबादी भवन, सार्वजनिक उपयोग की भूमि यथा स्कूल, अस्पताल, बाजार इत्यादि पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है और न ही वह भूमि अधिग्रहण में शामिल है, जहां तक वैकल्पिक भूमि का प्रश्न है, विकल्प उपलब्ध नहीं है, आस - पास भी कोई अन्य भूमि या शासकीय भूमि उपलब्ध नहीं है।
- न्यूनतम भूमि ही अधिग्रहित की जा रही है इसका परीक्षण तकनीकी विशेषज्ञ ने प्रस्तुत किया है, जिनकी रिपोर्ट पृथक से संलग्न है (अनु. क.) । उन्होने भी यह पाया है की भूमि जो अधिग्रहित की जा रही है। वह न्यूनतम है और भारतीय रेल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप है।
- समिति के संयोजक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा सूचित किया गया की आवेदक कम्पनी एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा पूर्व में ऐसी कोई अर्जित भूमि नहीं है, जो अनुपयोगी पड़ी है।
- प्रारम्भिक सामाजिक अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रभावित होने वाले ग्रामों में जन सुनवाई का आयोजन किया गया और अधिग्रहण के विरुद्ध कोई आक्षेप नहीं आया। केवल ग्राम में कतिपय सार्वजनिक सुविधाएं देने का आग्रह किया गया जिसे कम्पनी ने स्वीकार कर लिया।
- प्रस्तावित अधिग्रहण के संबंध में प्रभावितों से निर्धारित प्रपत्र में सहमति ली गई जो संलग्न है (अनु. क.) ।
- उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है।
- प्रस्तावित अधिग्रहण ग्राम लारा में स्थापित हो चुके एनटीपीसी जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है। के लिये खदानों से उत्पादित कोयले के सुगम एवं त्वरित



परिवहन हेतु किया जा रहा है। इससे कोयले के आवाजाही से सड़क मार्ग से परिवहन में होने वाले दुष्परिणामों से बचा जा सकेगा। कोयले के निरन्तर उपलब्धता से विद्युत संयन्त्र का उत्पादन लगातार बना रहेगा और संयन्त्र के लिये यह रेल लाईन एक जीवन रेखा प्रमाणित होगी। विद्युत उत्पादन वह भी शासकीय उपक्रम द्वारा निश्चय ही लोक प्रयोजन के लिये ही किया जाता है। इस संयन्त्र से उत्पादित होने वाली विद्युत उत्पादन से संभाव्य फायदे सामाजिक खर्चे और प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में बहुत अधिक है। प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि न्यूनतम है और अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है। विस्थापितों की संख्या शून्य है। प्रभावितों की संख्या केवल 5 है जिनमें उनके कुल खाते का बहुत छोटा हिस्सा अधिग्रहित होना प्रस्तावित है। फलतः ग्राम बनाई की खसरा नं 694/3, 681/4, 904/1, 692/1, 625 रकबा कमशः 0.12, 0.47, 0.16, 1.30, 0.08 एकड़ की भूमि अधिग्रहण की अनुशंसा की जाती है।

एस. जयवर्धन
अनुविभागीय अधिकारी

सूधीर डान्डेकर
पुनर्व्यवस्थापन विशेषज्ञ

1. श्री.एस.पी.दीक्षित, पुनर्व्यवस्थापन विशेषज्ञ
2. श्री. हरिलाल, तकनीकी विशषज्ञ
3. श्रीमती आशा शिव शर्मा, जनप्रतिनिधि
4. श्री. राधेश्याम राठिया, जनप्रतिनिधि
5. श्री. गंगाधर वैष्णव, गैर सामाजिक वैज्ञानिक
6. योगेश शर्मा, गैर सामाजिक वैज्ञानिक

ग्राम वनारि

विषय:- NTPC लिमि. नेले कोरिडोर परियोजना के समाप्ति समाधान हेतु जन वार्ता के आयोजन

दिनांक:- 29.04.2016 समय: 4:00 बजे

① NTPC लिमि.- DM साहब द्वारा कहा गया कि ग्राम वनारि का अमीन का अधिकार निमा गंगा है उसका अधिकार यदि कार्रवाई को ही लग प्रकाश के नियमानुसार हुआमा दिमा आयोजन /

② वनारि का अमीन का रेट 11 लाख 38 हजार 8 को 10 हजार /

③ NTPC DM साहब द्वारा लक्ष्मीपानी के लार्ड लु को अने का परिवार नेले द्वारा निमा अने इली कमल ग्राम वनारि का अधिकारी अधिकार निमा आ रहा है उसका लार्ड के विद्युत प्रकाश लार्ड हेतु वनारि निमा आ रहा है इस लेख समाप्ति वनारि का सहयोग रहेगा /

④ NTPC अधिकारी द्वारा जानकारी वनारि निमानुसार है -

1. पंचायत समिति नाथ बारिगाँव 0.12 / ला
2. ग्राम पंचायत नेवा लार्ड, नाथ बारिगाँव व. नाथ बारिगाँव नेवा लार्ड 0.57 / बरला पारि वनारि
3. विद्युत व लार्ड बारिगाँव 0.16 / बरला

4. ललित, बरखल पिता जोइया
 ब्रह्मदेव सिन के का जोइया केसुल
 इलका. 54000 नदी. पिलका 0 (1)
 मानन वी, श्रीमती पिता. जाल (11)
 जाति कय (

1.30 / लर

(5) श्री ललित देविका डाला जाले के
 के लोम लापरा है इली काव न हने
 चेक नदी मिल पा रहा जो. निम है
 राम 10 बाल लमन अलिमली 35 बाल
 लमन ल. नं. 629/

637/
 लीविल बोर्ड में आवेदन होने के कारण
 निवृत्त नहीं किया जा सका

(6) श्री ललित डाला जाले के ललित डाला
 मिलने के लक्ष्य में कहा गया -

(7) श्री पंचदेव डाला डाले जाले के पानी की.
 कमी की. लम लम को लुकाव करने के.
 ललित के। और तहलील डाला ललित डाला ललित
 को आडवा करने हुए कहा कि 15 दिव की नाली
 से पानी आवेगा लुकाव करने हेतु कहा
 गया

(8) श्री. ललित ललित ललित ललित ललित
 के ललित के ललित डाले हेतु - ललित
 10 की ललित ललित ललित ललित ललित
 ललित ललित ललित

NTPC
 ललित

⑥ श्री. जैल जी. लहरीलडा महेस्त्र डवा वडाईपाम
 ले चारा लव देल डमा के चले-वरा बलवडा
 डिमा मायेमा और निपमाडुला डडावाम
 डिमा मायेमा और डेयेमाम मुयके के
 डनेके लामबिक उडिडुव कमर डला
 डनेके वाम मं यवरा जाने उडिडाम डला
 मायेमा /

⑦ श्री. माला शक्ति लपुव डवा लोड वारी
 को जराव लेके की आनवारी की लडि एवं
 NTPC डरकिवाडि डुरा 15 दिन डार
 डी डकले ना डडुवडि डिमा ममा
 डाम के ममीन माय का विवण /

⑧ मान. ज. वं. परचोड डमववडा मुयल लामवडा
 डानी को मयंय. ना 14 दिन डारि के डल
 डल डने डिजली लडके के विडुव विमाम
 डरकिन निवडलन डलवड /

M. J. J.
 डायन
 डा. ड. वमर

EDC
 म. पं. ड. वमर

समाजिक समाधान जनसुमवाई ग्राम - जनई
उपस्थित पंजी

दिनांक - 29/04/

1.	हरिशम भाभी	दीपम
2.	इर्जन राठिया	कुर्वी
3.	रुपासंग	कपासिंह
4.	नल्लुराम	नल्लूराम
5.	जगमोहन	जगमोहन
6.	सेहेल्लर राग	सेहेल्लर राठिया
7.	मोहिलराम कोटवाल	मोहिलराम
8.	महावीर कोटवाल	महावीर कोटवाल
9.	पद्मिन्दर	पद्मिन्दर
10.	मशराराग	मशराराग
11.	अमराय	
12.	पंचराय	पंचराय
13.	अशोक राठिया	अशोक राठिया
14.	सुरेन्द्र कुमार	सुरेन्द्र
15.	राम कुमार	राम कुमार

29/04/20

16	लोरुठा कुमार्	तोरुठा
17	आनंद राम	आनंद
18	परेश कुमार्	परेश
19	बाल साय	बालसाय
20	धरनीधर राठिया	धरनीधर
21	हुलस राम	हुलस
22	जगदीश	जगदीश कसाव
23	भीषम सिंगा	भीषम सिंगा
24	अगत राम निषाद	अगत राम
25	लक्ष्मीनारायण राठिया	लक्ष्मीनारायण
26	रघुनंदन चौहान	रघुनंदन
27	गजानंद राठिया	गजानंद
28	कार्तिकेश	कार्तिकेश
29	सुरब सिंगा	सुरब
30	रामु	रामु

क्र

नाम

29/04/2016

31	उसल राम	उसलराम
32	डभरु धर	डभरुधर
33	धरम सिंह	धरमसिंह
34	प्रदीप कुमार	प्रदीप
35	राजाराम राठिया	राजाराम
36	लीरीध राम	किरीतराम
37	तीजराम	तीजराम
38	भगत सिंह	भगतसिंह
39	तेनीराम	तेनीराम
40	दुर्गा	दुर्गा
41	मरेश	मरेश
42	रविमरायण	रविमरायण
43	लक्ष्मी प्रसाद	लक्ष्मी प्रसाद
44	रामरत्न	रामरत्न
45	विहारी	बिहारी

कं

29/04/19

46	गोकुल राधिया	गोकुल राधिया
47	लोलिल राधिया	लोलिल
48	साधा वार्ड	
49	इलवारा वार्ड	
50	सुकमेल वार्ड	
51	जानकी वार्ड	
52	छाधनी वार्ड	बाधनी
53	भगवती वार्ड	भगवती
54	करमेल वार्ड	करमेल
55	देमोसिल वार्ड	<u>देमोसिल</u>
56	धसियानो वार्ड	धसियानो
57	रुमीत्रा वार्ड	रुमित्रा
58	रुकुल अजरिया	रुकुल
59	शिव कुमार	शिव कुमार
60	रामाधार	रामाधार

क्र०

29/04/2016

61	सियाराम भाभी	सिधावाम
62	बाबु लाल	बाबुलाल
63	इयाम कुमारे	इयाम
64	राग बान	सिधायाम
65	ईश्वरी	ईश्वरी
66	बालकृष्ण	बाबुलाल
67	सियाराम	सिधावाम
68	रतन कुमारे	रतनकुमार
69	जी.एन. चौधरी ना. तट्टीधर	सिधायाम
70	बंजय उमरवल उपाध्याय	सिधायाम
71	गारत राधिका	सिधायाम
72	डिगेश पटेल	सिधायाम
73	एन. एन. शर्मा 800 Kato	सिधायाम
74	परि. सल्लेख डल्लेखाना रायगढ़	सिधायाम
75	जै. पी. बुद्धे	सिधायाम
76	सल्लेख डल्लेखाना रायगढ़	सिधायाम

प्रभावित खातेदार का विवरण

ग्राम बनाई प0ह0नं0

राजस्व निरीक्षक मण्डल तमनार तहसील तमनार जिला रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक	खातेदार का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा हेक्टेयर	रकबा अर्जित (हेक्टेयर)	रकबा अर्जित (ए0)	उस खाते का कुल क्षेत्रफल जिसमें अर्जित भू-खण्ड स्थित हो (हेक्टेयर)	किस्म जमीन मौके के अनुसार	उगाई गई पिछली फसल	कृषक का प्रकार	जाति
1	पंचराम व. रामनाथ जाति गाड़ा	694/3	0.288	0.049	0.12	0.404	असिंचित	धान	S	SC
2	रुपसाय वो नंदलाल पि0 गनपत, चंदो व0 गनपत, लक्ष्मी बेवा सोनसाय जाति कंवर	681/4	0.517	0.190	0.47	2.200	असिंचित	धान	AM	ST
3	बिहारी व0 सीताराम जाति रावत	904/1	0.435	0.065	0.16	3.012	असिंचित	जड़द	AM	OBC
4	ललित, बसन्त पिता जोइधा, बरमकेलहिन बेवा जोइधा, बेनूराम, इतवार, जवाहरमती पिता अनंतराम, मानमती, श्रीमती पिता अनंतराम जाति कंवर	692/1	1.380	0.526	1.30	15.478	असिंचित	धान	O	ST
5	ना.बा. वैभव पि पूरनचंद पा. विमला जौ. पूरनचंद	625	0.445	0.032	0.08	1.445	असिंचित	जड़द	L	ST
योग	5	5	3.065	0.830	2.13	22.539				

प्रति,
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व धरदोड़ा जिला रायगढ़
सन्दर्भ: कार्यालय कलेक्टर रायगढ़ धरदोड़ा के पत्र क्रमांक
11805/शु. अर्जन/2016 रायगढ़ दिनांक 16/11/16

विषय: शु अर्जन पुनर्वास और पुनर्वासस्थापन में उचित प्रतिकार
और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा
के अन्तर्गत एक समामाजिक समाधान प्रबंधन योजना के
तहत ग्राम बनाई तहसील तमनार जिला रायगढ़ के मुख्या
वन हेतु रिपोर्ट

उपरोक्त विषय एक सम्पर्क के विषय में अनुविभागीय
अधिकारी राजस्व धरदोड़ा जिला रायगढ़ में विशेषज्ञ
समूह के दल द्वारा दिनांक 28/11/2016 को धरदोड़ा में
उपरोक्त विषय पर चर्चा हेतु बैठक आयोजित की गयी
जिसमें विषयानुसार हर वि-दुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा
की गयी। चर्चा में यह विदित हुआ कि ग्राम बनाई
पर की भूमि का पुराने अधिनियम के तहत शु अर्जन
हो चुका है। प्रस्तावित भूमि किसी कारणों वश शु अर्जन
से वांचित रह गयी थी। अतः प्रस्तावित भूमि विलाई
पाली कोल माइंस से लारा एन टी सी प्लांट के
के लिए कोयला परिवहन के लिए बनाये जाने वाले
ट्रेक पर आती है। अतः शु अर्जन आवश्यक है।
प्रस्तावित भूमि का एकवा 2.05 एकड़ है। और ट्रेक की
लम्बाई 1.280 किमी. है।

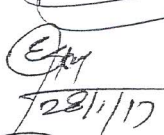
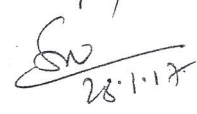
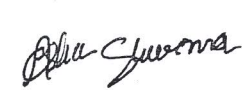
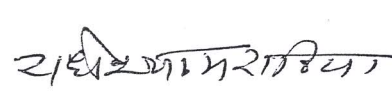
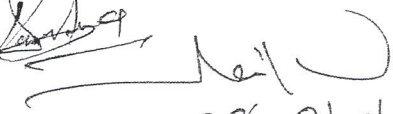
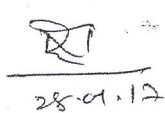
प्रस्तावित भूमि का शु अर्जन दोहरी रेलवे लाइन के
के आधार पर किया गया है। जिसमें फार्मेशन को चोड़ाई
दलान एक समान पानी के निकास का ध्यान रख कर किया
गया है। साथ ही ट्रेक में सेटिंग के लिए आवागमन
के लिए भूमि का भी समावेश किया गया है।

अतः यह स्थापित किया जाता है कि ग्राम बनाई
तहसील तमनार जिला रायगढ़ के प्रस्तावित निजी भूमि
रेलवे ट्रेक के माफ होना के आधार पर किया गया है तथा
यह स्थापित किया जाता है कि अनावश्यक भूमि आगिरी
नहीं हो जा रही है।

(हस्ताक्षर)

दीपक सेवानिवृत्त कार्यालय
आमरेवा दे.शु. नारेल
विलासपुर 27/11/17

आज दिनांक 28/01/2017 को तलाईपाली कोल
माईनिंग परियोजना में आने वाले दस गांवों का
सामाजिक समाचार निधीकरण एवं प्रबंधन हेतु
प्रस्तावित रिपोर्ट के चर्चा एवं अनुमोदन हेतु एक्सपर्ट
कमेटी की बैठक हुई, इस बैठक में निम्नलिखित
सदस्य गण उपस्थित थे।

- | नाम | हस्ताक्षर |
|---|--|
| 1. — गांधी परिवार - | 
28/1/17 |
| 2. — योगेश शर्मा - | 
28/1/17 |
| ③ Hawalal - | 
28/1/17 → 8109188088 |
| ④ श्री Dixit - | 
→ 9425235366 |
| ⑤ Sudhir V. Dandekar | 
28/1/2017 → 9826370111 |
| ⑥ S. Jayaraman | 
28.1.17 |
| ⑦  |  |
| ⑧  |  |
| ⑨ C.M. Naik (GM.TL) | 
28-01-17 |
| ⑩ N.M. Swain, Sr. Mgr., Temp | 
28.01.17 |